

ता है।
वार नियोजन के
नानकारी दी। संस्था
पूनीयों ने बताया कि
समय पर इस तरह
आयोजन किया
शे से प्रस्त मरीजों
ने के साथ अन्य
वों के प्रति जागरूक
कार्यक्रम के आयोजन
, विक्रम सिंह, देव
मलेठिया आदि का

जिलाध्यक्ष अनंश खान, सांशल मॉडिया अध्यक्ष राहुल खान का औपचारिक स्वागत कार्यक्रम राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित यूथ कांग्रेस कार्यालय में किया गया। यूथ कांग्रेस के निवर्तमान देहात जिलाध्यक्ष हरिराम बाना एवं पुर्ननिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष संतोष गोदारा ने तिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस मौके पर आगामी चुनावों में युवाओं की भागीदारी पर चर्चा की एवं पार्टी को मजबूत करने के लिए अधिकाधिक संख्या में युवाओं को सक्रिय करने का आह्वान किया। बीकानेर में युवा कांग्रेस द्वारा संभाग स्तरीय पदाधिकारियों का विशेष कार्यक्रम प्रतिज्ञा-2023 का आयोजन किया गया।

कमचारा, जनप्रतांतानांथ तथा लाभाथी उपास्थत रहे। कार्यक्रम में उपास्थत लाभाथी नानकी देवी निवासी 8 केबी व निर्मला देवी निवासी सलेमपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवाद किया। दोनों लाभाथियों ने महंगाई राहत कैप के जरिए फ्लैगशिप योजनाओं से लाभान्वित करवाने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत एवं राज्य सरकार का आभार जताया। लाभाथी निर्मला ने कहा कि पेंशन बढ़ने के साथ ही बेटी की शादी में राज्य सरकार की ओर से 31 हजार रुपए की सहायता मिली इसके लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया।

राठी



अस्पताल के वरिष्ठ
शंकर, लेखाकार
गावत, माहेश्वरी
बंधक त्रिलोकचंद
र अरुंधति सांखला
शेरकत की। समिति
बताया कि लाधूराम
चार, सत्यनारायण
नलाल राधेश्याम
हनलाल, शुशील
फूसराज श्यामसुंदर
राधेश्याम बिहानी,
श कुमार लाहोटी
एकर एयर कंडीशनर
या है। इस अवसर
वार से श्याम सुंदर
वार बिहानी, सीताराम

संदेश

नय आचार्य, राहुल
त कोचर, अकरम
र हैदर बैंग, गोपाल
गौड़ आदि मौजूद
नाय एवं अधिकारिता
क निदेशक एलडी
रु समारोह के दौरान
ई गई तथा पेंशनर्स
का समाधान किया
एकलनारी सम्मान
लाभाथी कौशल्ल्या
मंत्री गहलोत का
मुख्यमंत्री विशेष
पेंशन योजना के
सुंदर मीणा ने कहा
शन राशि से उन्हें
बादूदेवी ने कहा
की मृत्यु कोरोना
ई थी। उसे कोरोना
के तहत 1500
पेंशन मिल रही है।

Kotak कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

ई-निविदा बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय: 27, बीकेसी, सी-27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

शाखा: 7वीं मंजिल, अटलटिस्ट टॉवर, डी-231/232, आम्रपाली मार्ग, आम्रपाली सर्कल के पास, वैशाली नगर, जयपुर-302021

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

ईएमडी और दस्तावेजात (हार्ड कॉपी) और (ऑनलाइन) जमा करने की अंतिम तिथि और समय 21.08.2023, शाम 04:00 बजे

ई-नीलामी की तिथि और समय: 22.08.2023, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक

(बिक्री के समापन तक प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 की संख्या 54) सरफेसी अधिनियम के तहत बैंक में गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना।

जबकि, नीचे नामित उधारकर्ताओं ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को डिफॉल्ट किया है और नीचे बताई गई राशि और उस पर अतिरिक्त व्याज बकाया है, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने अपने अधिकृत अधिकारों के माध्यम से धारा 13 के तहत गिरवी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। (4) सरफेसी अधिनियम 2002 और बैंक ने नियम 8 के तहत नीचे उनके नाम के सामने वर्णित संपत्तियों को "जैसा है जहाँ है" और "जैसा है" और "कोई शिकायत नहीं" शर्त पर बेचने का फैसला किया है। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के 9। बिक्री अधोहस्ताक्षर द्वारा वेबसाइट: <https://kotakbank.auctiontiger.net> पर दिए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से और साथ ही नीलामी टाइगर मोबाइल ऐप पर भी की जाएगी।

खाता व उधार लेने वाला/ बन्धकदाता (कर्ताओं)/ प्रत्याभूति देने वाला (वाली) का नाम	अचल संपत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि (राशियाँ)	ईएमडी धन प्रेषण खाता विवरण	आरक्षित मूल्य अमानता राशि जमा बोली वृद्धि राशि
1. मैसर्स सुरज इण्डस्ट्रीज (उधार लेने वाला व बन्धकदाता) श्री संजय बाफना, श्री अजय बाफना, श्रीमती प्रमिला देवी बाफना, प्लॉट संख्या ए279, आईजीसी खारा बीकानेर, 334601 (राजस्थान)। 2. श्री अजय बाफना (प्रत्याभूति देने वाला) भवन संख्या 319 के, वार्ड नंबर 38, समीप पॉवर हाउस, रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र, 3. श्री संजय बाफना (प्रत्याभूति देने वाला व बन्धकदाता) भवन संख्या 319के, वार्ड संख्या 38, समीप पॉवर हाउस, रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर 334001 (राजस्थान), 4. श्री धनपत राय बाफना (प्रत्याभूति देने वाला) भवन संख्या 319 के, वार्ड नं. 38 समीप पॉवर हाउस, रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर 334001 (राजस्थान), 5. श्रीमती प्रमिला देवी बाफना (प्रत्याभूति देने वाली) भवन नं. 319 के, वार्ड संख्या 38, समीप पॉवर हाउस, रानी बाजार, औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर - 334001 (राजस्थान)	सम्पत्ति संख्या 1, गैर कृषिक अचल संपत्ति स्वामित्व द्वारा मैसर्स सुरज इंडस्ट्रीज एक पारदर्शित फर्म, जय इसके अधिकृत सहायक श्री संजय बाफना गैर कृषिक अचल संपत्ति जो कि औद्योगिक क्षेत्र बनी हुई है, प्लॉट नं. ए-279, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेक्टर खारा, बीकानेर, अधिमान 12500.00 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र 5241.70 वर्ग मीटर (फैक्टरी शेड), 87.84 वर्ग मीटर (ऑफिस) और 418.29 वर्ग मीटर श्रमिक क्वार्टरों के सम्पूर्ण भाग और भूमि (खण्ड)। मैसर्स सुरज इंडस्ट्रीज संग सभी वर्तमान और बाकी इन पर होने वाले निर्माण के। उपरोक्त संपत्ति के चार कोने: पूर्व: प्लॉट नं. ए-286, पश्चिम: सडक, उत्तर: सडक, दक्षिण: प्लॉट संख्या ए-280। संपत्ति संख्या 2, गैर कृषिक अचल संपत्ति, श्री संजय बाफना, गैर कृषिक संपत्ति जो आवासीय संपत्ति प्लॉट, औद्योगिक क्षेत्र, रानी बाजार, बीकानेर अधिमान 729 वर्ग फुट अथवा 67.76 वर्ग मीटर इस्का निर्मित क्षेत्र 67.76 वर्ग मीटर ग्राउण्ड तल पर स्वामित्व श्री संजय बाफना द्वारा, संग इस पर वर्तमान और भावी निर्माण के सभी / उपरोक्त संपत्ति के चार कोने: पूर्व: अन्व भूमि, पश्चिम: सडक, उत्तर: मदनलाल चौक का भवन, दक्षिण: श्री मोहन आचार्य की दुकान, के सभी भाग और भूमि (खण्ड)	रुपये 5,58,24,980.62 नकद ऋण के प्रति खाता संख्या 3811235043 जो कि दिनांक 31.10.2022 को बकाया संशुभ्र का व्याज, लागत व उन पर लगने वाले शुल्कों है।	खाता संख्या 06410125272001, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, नरिसन प्लांट शाखा, मुंबई आईएफसी कोड: केकेबीके0009598	सम्पत्ति संख्या 1: (आवृत्तिक रुपये 8,18,00,000/-) ईएमडी रुपये 81,80,000/- (बीआरएफ) रु. 25,000/- सम्पत्ति संख्या 2: (आरपी) रु. 73,00,000/- (ईएमडी) रु. 7,30,000/- (बीआरएफ) रु. 25,000/-

टीडीएस काटा जाएगा: नीलामी मूल्य का 1%

टीडीएस कटौती के लिए शर्तें: टीडीएस काटा जाएगा और बंधककर्ता के नाम पर जमा किया जाएगा। यदि गिरवी रखी गई संपत्ति संयुक्त रूप से स्वामित्व में है, तो टीडीएस पहले मालिक के नाम पर रिपोर्ट किया जाएगा, जब तक कि बिक्री विलेख में स्वामित्व का कोई विशिष्ट अनुपात न हो, उस स्थिति में टीडीएस उनके स्वामित्व अनुपात के अनुपात में काटा जाएगा।

नीलामी क्रम, टीडीएस जमा करने के बाद, टीडीएस भुगतान और पुष्टि के प्रमाण के रूप में फॉर्म नंबर 10ए जमा करके।

ई-नीलामी के माध्यम से अचल-अचल संपत्ति की बिक्री के नियम और शर्तें:- (1) ई-नीलामी "जैसा है जहाँ है" और "जैसा है जो है के आधार पर", "जो कुछ भी है" पर अयोजित की जा रही है। और कोई शिकायत का आधार नहीं। प्राधिकृत अधिकारी को सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्ति/संपत्तियों पर कोई बाधा नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले, नीलामी में रखी गई संपत्तियों/संपत्तियों के शोर्षक और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया के संबंध में अपनी स्वतंत्र पड़ताल करनी चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकार/बकाया के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। (2) बोली जमा करने से पहले संपत्ति और विनिर्देश के बारे में निरीक्षण करना और संपूर्ण संपत्ति और विनिर्देश को जांचना होगा। नीलामी में रखी गई संपत्तियों के निरीक्षण की अनुमति लोकेशन रिक्तों मैनेजर-एबीजी के परामर्श से बैंक के कार्य दिवसों पर इच्छुक बोलीदाताओं को दी जाएगी। (3) इच्छुक बोलीदाता नीलामी विवरण और बिक्री के नियमों और शर्तों के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट <https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html> पर जा सकते हैं। (उपरोक्तों आईडी और पासवर्ड उनके लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से "https://kotakbank.auctiontiger.net" के साथ नाम पंजीकृत करके निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। आरक्षित मूल्य का 10% ईएमडी जयपुर में वेब "कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/ऑनलाइन के माध्यम से देय होगा और इसे अनुबंध में और (ii) की विधिवत भरी और हस्ताक्षरित प्रति के साथ संपत्ति बैंक शाखा में जमा किया जाना चाहिए। 21.08.2023 को शाम 4.00 बजे या उससे पहले निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न निविदा प्रपत्र संबंधित बैंक शाखा से भी प्राप्त किया जा सकता है। (4) वेब पोर्टल में बोलीदाताओं द्वारा पंजीकरण के बाद, इच्छुक बोलीदाताओं को बोली जमा करने की अंतिम तिथि से पहले वेब पोर्टल पर अपलोड किए गए निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियाँ प्राप्त करना आवश्यक है। (i) को प्रति मांग मसौदा, (ii) पैर कार्ड की प्रतिलिपि, (iii) पहचान का प्रमाण (केवाईसी) अर्थात्: मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट आदि की प्रतियाँ, (iv) पते के प्रमाण की प्रतियाँ, (v) निविदा प्रपत्र से संलग्न अनुबंध। और (ii) की विधिवत भरी हुई और हस्ताक्षरित प्रति, जिसके विना बोली लगाई जा सकती है। अस्वीकार कर दिया। (5) इच्छुक बोलीदाता बैंक शाखा आईडी और पासवर्ड बनाते, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे मैसर्स इंफोप्रोयोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (नीलामी टाइगर) के ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। (6) अहमदाबाद: हेल्प लाइन नंबर 079-68136880/881/837/842/09978591888, support@auctiontiger.net, मैं ऑक्शन टाइगर मोबाइल ऐप पर भी हूँ। और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए बैंक अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है: 7वीं मंजिल, अटलटिस्ट टॉवर, डी-231/232, आम्रपाली मार्ग, आम्रपाली सर्कल के पास, वैशाली नगर, जयपुर-302021, श्री तरुण जोशी, स्थान रिक्तियों मैनेजर - एबीजी मोबाइल: 8370013754 ईमेल:- tarun.p.joshi@kotak.com, कार्य दिवसों के दौरान कार्यालय समय के भीतर। (6) केवल वेब यूजर आईडी/पासवर्ड रखने वाले और डिमांड ड्राफ्ट/ऑनलाइन के माध्यम से ईएमडी का भुगतान करने वाले खरीदार ही ऑनलाइन-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। (7) संपत्ति का निरीक्षण: इच्छुक पाठियों 05.08.2023 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे के बीच संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। (8) इच्छुक बोलीदाताओं ने शाम 4.00 बजे से पहले डिमांड ड्राफ्ट/ऑनलाइन के माध्यम से आरक्षित मूल्य के 10% से कम नहीं अपनी ईएमडी जमा कर दी है। 21.08.2023 को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। उपरोक्त संपत्तियों की ई-नीलामी बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोली के माध्यम से ऊपर उल्लिखित निर्धारित तिथि और समय पर आयोजित की जाएगी। (9) प्रस्तुत की जाने वाली बोली को कौमत् प्राधिकृत अधिकारी ("एओ") द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से ऊपर होगी और बोली लगाने वाले को भारतीय रुपये के गुणक में और सुधार करना होगा। 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र)। (10) यदि बोली समापन के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है ई-नीलामी के समय, समापन समय स्वचालित रूप से 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के अधीन)। जो बोलीदाता ऑनलाइन नीलामी बंद होने पर उच्चतम बोली (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) जमा करेगा, उसे सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा और इस आसरा को सूचना हलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से जारी की जाएगी जो प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता के अनुमोदन के अधीन होगी। (11) सफल बोली लगाने वाले की बचाना राशि (ईएमडी) आंशिक बिक्री विचार के लिए रखी जाएगी और अस्विकृत बोली लगाने वाली की ईएमडी 15 कार्य दिवसों में वापस कर दी जाएगी। बचाना राशि पर कोई व्याज नहीं लगेगा। सफल बोली लगाने वाले को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य को स्वीकृति के तुरंत बाद वा अगले कार्य दिवस के समापन से पहले बिक्री मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समाप्त/अनुचित करते हुए) जमा करना होगा और बिक्री मूल्य का शेष 75% भुगतान करना होगा। बैंक द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर या एओ द्वारा लिखित रूप में सहमति के अनुसार वित्तीय अविधि और केवल एओ के विवेक पर। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चुक के मामले में, बोलीदाता द्वारा पहले से जमा की गई राशि जब कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से नीलामी में रखा जाएगा और चुककर्ता बोलीदाता के पास संपत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा। (12) संपत्ति/राशि बोलीदाता मेसर्स से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। ई-नीलामी की तारीख से पहले ई-प्रोयोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और न तो प्राधिकृत अधिकारी/बैंक और न ही मेसर्स। ई-प्रोयोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड किसी भी नेटवर्क समस्या के लिए उत्तरदायी होगा और इच्छुक बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ई-नीलामी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तकनीकी रूप से अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। (13) क्रेता को लागू स्टॉप शुल्क/अतिरिक्त स्टॉप शुल्क/हस्ताक्षर शुल्क, शुल्क आदि और किसी भी भी देय सभी वैधानिक/गैर-सांख्यिक बकाया, कर, दर, प्रत्युत्पन्न, शुल्क, शुल्क आदि वहन करना होगा। (14) प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को स्थगित/स्थगित करने/रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। (15) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने और भाग लेने से पहले मेसर्स ई-प्रोयोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को वेबसाइट <https://kotakbank.auctiontiger.net> पर उपलब्ध ई-नीलामी के विस्तृत नियमों और शर्तों को पढ़ लें। ई-नीलामी। (16) प्रकाशन अत्यावृत्तित बचना के अधीन है। (17) बिक्री प्रमाणपत्र नीलामी कोने से फॉर्म नंबर 16ए के तहत संपूर्ण बिक्री विचार और टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करने और सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि के बाद जारी किया जाएगा। बिक्री प्रमाणपत्र सफल बोली लगाने वाले के नाम पर जारी किया जाएगा। बोली जमा करने वाले/नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति के अलावा बिक्री प्रमाणपत्र में नाम बदलने के किसी भी उल्लेख पर विचार नहीं किया जाएगा। (18) बोलीदाता द्वारा एक बार जमा की गई बोली को रद्द/वापस नहीं किया जा सकता है और बोलीदाता अंतिम बोली मूल्य पर संपत्ति खरीदने के लिए बाध्य होगा। ई-नीलामी में प्रतिक्रियित किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में बोली लगाने वाले की ओर से विफलता के परिणामस्वरूप दोषी बोली लगाने वाले द्वारा भुगतान की गई राशि जब कर ली जाएगी। (19) सफल बोलीदाता को घोषणा के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम और सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा। प्राधिकृत अधिकारी सफल बोलीदाता की घोषणा करने से पहले, बिना कोई कारण बताए, किसी भी समय ई-नीलामी प्रक्रिया/निविदा को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। सशर्त बोलियों को अमान्य माना जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि बोली जमा करने के बाद, बोली में किसी भी बदलाव के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी को भी देय सभी वैधानिक / गैर-वैधानिक बकाया, कर, दर, प्रत्युत्पन्न, शुल्क, शुल्क आदि का भुगतान केवल सफल बोली लगाने वाले की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। बोलियों (बोलियों) को वैधता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर, बोली की राशि, बोली लगाने वाले को प्राप्त के लिए एक बार ईएमडी, बोली लगाने वाले का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का अधिकार, व्याख्या और प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय ऐसी दिव्य में अंतिम होगा, बैंक अपने विवेक से बिक्री बंद करने का हवादार होगा। और बैंक द्वारा तय की गई किसी भी तारीख और समय पर संपत्ति को एक बार फिर से बिक्री के लिए रखे। किसी भी प्रकार के विवाद के लिए बोलीदाताओं को केवल संबंधित बैंक शाखा के अधिकृत अधिकारी से संपर्क करना होगा। (20) विशेष निर्देश, बोलीदाताओं के हित में अंतिम क्षम में बोली लगाने से बचना चाहिए, न तो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता किसी भी चुक/विफलता (इंटरनेट विफलता/विजली विफलता आदि) के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थितियों से बचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे बिक्री अप्रतिष्ठित बैंक-अप आदि जैसी सभी आवश्यक व्यावहारिक/विकल्प कर दें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

(विस्तृत नियम और शर्तों के लिए कृपया वेबसाइट देखें) <https://kotakbank.auctiontiger.net> (मैसर्स ई-प्रोयोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड)

इसे सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2) / 8(6) और 9(1) के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री सूचना के रूप में माना जा सकता है:

नोट:- उधारकर्ता/गैर/बंधककर्ता को इसके द्वारा सूचित किया जाना है संपत्ति को छुड़ाने के लिए प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अद्वान्त व्याज और सहायक खर्चों के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर संपत्ति/संपत्तियों को नीलाम/बेच दिया जाएगा और शेष बकाया, यदि कोई हो, वसूल किया जाएगा व्याज और लागत के साथ।